पत्र सं०–6 एस०एस०(6) 12/2017–1641/

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

मधुरानी ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–21/05/2018.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **वित्तीय वर्ष–2018–19 में कुल ₹ 11.8052 करोड़ (ग्यारह करोड़ अस्सी लाख बावन हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम अन्तर्गत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य के तहत पशुओं को एच०एस०–बी०क्यू० संक्रामक रोग से बचाव हेतु एच०एस०बी०क्यू० टीकाकरण कार्यक्रम योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–2556, दिनांक–09.08.2017 के द्वारा राज्य स्कीम के अन्तर्गत पशु चिकित्सा सेवाएँ एवं पशु स्वास्थ्य के तहत पशुओं को एच०एस०–बी०क्यू० संक्रामक रोग से बचाव हेतु एच०एस०–बी०क्यू० टीकाकरण की योजना की स्वीकृति गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रदान की गई थी। यह योजना पशुपालन प्रभाग के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसे आगे भी चालू रखना नितान्त आवश्यक है। इसलिए राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल ₹ 11.8052 करोड़ (ग्यारह करोड़ अस्सी लाख बावन हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम अन्तर्गत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य के तहत सम्पूर्ण राज्य में पशुओं को एच०एस०–बी०क्यू० संक्रामक रोग से बचाव हेतु एच०एस०–बी०क्यू० टीकाकरण कार्यक्रम की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न है।

2) इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव हेतु एच०एस०–बी०क्यू० टीकौषधि से टीकाकृत कर पशुपालकों को होने वाले आर्थिक क्षति से बचाना है ताकि राज्य के पशु रोग मुक्त रह सके।

3) राज्यान्तर्गत टीकाकरण का कार्यक्रम भारत सरकार के LH & DC के अन्तर्गत सम्पन्न कराये जाने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम हेतु ससमय केन्द्रांश की राशि विमुक्त नहीं किये जाने के फलस्वरूप टीकाकारण कार्यक्रम राज्य में ससमय संचालन नहीं होने के कारण राज्य के पशु अनेको संक्रामक रोग से ग्रसित होने की संभावना बनी रहती है। इस विषम परिस्थिति से बचने हेतु राज्य स्कीम के तहत टीकाकरण कार्यक्रम के संचालन के लिए पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य के अन्तर्गत

21/5/18

एच०एस०–बी०क्यू० टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन किया जायेगा। इसके लिए राशि का उपबंध उपलब्ध है। एच०एस०बी०क्यू० टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु एच०एस०–बी०क्यू० Combined टीकौषधि तथा सिरींज–निड्ल की आपूति हेतु दर एवं आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण नियमानुसार निविदा के माध्यम से कर, टीकौषधि एवं अन्य सामग्री का क्रय तथा टीकाकरण कार्य में संलग्न निजि टीकाकर्मियों को रुपये 3/– (तीन रुपये) मात्र प्रति टीकाकरण की दर से मानदेय का भुगतान किया जायेगा। इस वर्ष 165 लाख पशुओं को एच०एस०–बी०क्यू० रोगो के विरूद्ध निःशुल्क एच०एस०–बी०क्यू० टीका से टीकाकृत करने का लक्ष्य निर्धारित है।

4) वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष–2403– पशुपालन– उप मुख्य शीर्ष–00– लघु शीर्ष–101– पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, माँग संख्या–02– उप शीर्ष–0101 –पशु अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02–2403001010101 के तहत विभिन्न उप शीर्षों के तहत मूल उद्व्यय के रूप में उपलब्ध बजट उपबंध से इस योजना पर व्यय किया जायेगा।

5) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार होंगे। निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी भी होंगे।

6) चुँकि यह योजना एक चालू योजना है। इसलिए बिहार कार्यपालिका (संशोधन) नियमावली–2007 के अधीन चतुर्थ अनुसूची के नियम– ''ग'' उप नियम–2 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में माननीय विभागीय मंत्री का प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस० (6) 12/2017 के पृष्ठ–15/टि०.

7) बिहार वित्त नियमावली के नियम–210 के अनुसार निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना एक समिति गठित कर योजना की क्रियान्वयन की जाँच एवं समीक्षा कराना सुनिश्चित करेंगे।

8) एच०एस०बी०क्यू० टीकाकरण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत राशि संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को टीकाकरण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निदेशक, पशुपालन द्वारा आवंटित किया जायेगा।

10) निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पूर्णरूपेण जबावदेह होंगे।

11) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०–6 एस०एस० (6) 12/2017 के पृष्ठ–17/टि० तथा डायरी सं०–शुन्य, दिनांक–21.05.2018.

12) वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

21/5/18
(मधुरानी ठाकुर)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०**(6)** 12/2017–1641 /पटना–15,दिनांक–~~1641~~ 21/05/2018.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०**(6)** 12/2017–1641 /पटना–15,दिनांक–21/05/2018.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०**(6)** 12/2017–1641 /पटना–15,दिनांक–21/05/2018.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/ सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०**(6)** 12/2017–1641 /पटना–15,दिनांक–21/05/2018.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/ योजना शाखा/ लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०**(6)** 12/2017–1641 /पटना–15,दिनांक–21/05/2018.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

21/5/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०**(6)** 12/2017–1641 /पटना–15,दिनांक–21/05/2018.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखा परीक्षा, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

21/5/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6) 12/2017– 1641 /पटना–15,दिनांक–21/05/2018.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

21/5/18

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना के तहत संचालित किये जाने वाले एच०एस०–बी०क्यू० टीकाकरण कार्यक्रम पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :–

(राशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	2	3	4	5
1	0101.13.01 –कार्यालय व्यय	49.02	निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी।	राज्य के सभी कोषागार।
2	0101.13.02 –वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव	12.02		
3	0101.21.01 –सामग्री एवं पूर्त्तियाँ	613.80		
4	0101.26.01 –विज्ञापन एवं प्रकाशन	10.68		
5	0101.28.02 –संविदा सेवाएँ	495.00		
	योग :–	1180.52		

कुल (ग्यारह करोड़ अस्सी लाख बावन हजार) रुपये मात्र।

1641
21/05/18

सरकार के अपर सचिव